

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत..... SDO मुकाम.....  
सहायक कलेक्टर (SDO) कायतु जिला - बाँजौर

दोरी खाँ बनाम.....  
महसुद खाँ वजोरा

किस्म मुकदमा..... नं. 51/22 सन् 2022  
11549 हावस

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/2/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... कुं. म. सि. ए. चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111/128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 14/3/2022 को पेश हो।</p>	
14/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गवा के नोटिस मिजवाये 30 दिन के अघि 3 81 सम्पन उपस्थित हो चुका है जिनसे मोर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न्यायालय सम्पन लेन कार आवाज लगाई गई केलिए आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी/गवा स्वयं या उनसे मोर से कोई अधिवक्ता या कर्मिआवउ कोई उपस्थित नहीं हुआ लिखा जा विप्रार्थी/गवा के विरुद्ध एडवोकेट पार्थवरी सम्पल से लाई जाली है। केल वास्ते वास्तु पत्रावली दिनांक 28/03/2022 को पेश दी।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) कायतु जिला - बाँजौर</p>

सहायक कलेक्टर (SDO)  
कायतु  
जिला - बाँजौर


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)  
बायतु  
जिला - बाड़मेर

न्यायालय  
क्रमांक / बाद / 2022 /  
प्रार्थी  
1 दोस्रो खा पूर  
जाते स्थित  
251

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 / ~~238~~ 241  
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 28/03/2022  
विप्रार्थीगण

1. दोशे खां पुत्र हिन्दाल खां,  
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी कसुम्बला हरचन्द,  
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,  
तहसील गिडा जिला बाडमेर


1. मलूक खां पुत्र हिन्दाल खां वगैरा 05,  
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी कसुम्बला हरचन्द,  
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 51/2022

### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कसुम्बला हरचन्द, पटवार मण्डल - कसुम्बला भाटियान, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 194/80 रकबा 4.4515 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक / वाद / 2022 / ~~238~~ 246  
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दोशे खां पुत्र हिन्दाल खां,
4. विप्रार्थी श्री मलूक खां पुत्र हिन्दाल खां वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

सहायक कलेक्टर (SDC)  
(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 28/03/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
बायतु  
जिला - बाडमेर